प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2025/182680/GKP/GORAKHPUR/3872/CFO
दिनांक : 25-12-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **S.R INTERNATIONAL ACADEMY** पता **GAJPUR BANSPAR,-,GORAKHPUR** तहसील - **BANSGAW** प्लाट एरिया **5303.68 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **5086.18** (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - **1** जिसमे -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
S R INTERNATIONAL ACADEMY	3	0	9.45 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **S.R INTERNATIONAL ACADEMY** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **17-01-2026** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **ANIL KUMAR SURYANATH SINGH** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **17-01-2026** से **16-01-2031** तक **5** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **S.R INTERNATIONAL ACADEMY** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **S.R INTERNATIONAL ACADEMY** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : FSSO की संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या व भवन में ट्रेवलिंग डिस्टेंस को अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत रखने के लिए NBC मानक के अनुसार अतिरिक्त स्टेयर केस का निर्माण 03 माह के अन्दर कराये जाने की शर्त पर निम्न उपबन्धों के अधीन निर्गत हैं।
1-अर्ह अभिकर्ता /अग्निशमन अभियन्ता से 02 वर्ष में न्यूनतम 01-बार फायर आडिट तथा वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर इस विभाग को प्रेषित करें
2-फायर उपकरणों का वार्षिक ए0एम0सी0/मरम्मत अर्ह एजेन्सी से कराया जाय।
3- स्कूल में वार्षिक समारोह में लगने वाले पाण्डाल तथा अतिरिक्त भवन निर्माण हेतु विभागीय स्वीकृति ली जायें।
4-शा0 दिनांक 07.01.2022 के अनुसार निर्गत है।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है । इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा । यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है ।"

निर्गत किये जाने का दिनांक : 17-01-2026
स्थान : GORAKHPUR

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)
SANTOSH KUMAR RAI
83D1545A2C132ED07DA6325B12C5E5094D437D60
17-01-2026

Note:- Kinldy check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.